कार्यालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/69/2023

हरीबाबू शर्मा निवासी प्लॉट नं0 67, सीताराम कॉलोनी, श्योपुर रोड़, सांगानेर जयपुर

..अपीलार्थी

वनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार वैर

..रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 16.11.2023

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट हरीबाबू शर्मा निवासी प्लॉट नं0 67, सीताराम कॉलोनी, श्योपुर रोड़, सांगानेर जयपुर की अपील लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार वैर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/2023/766 दिनांक 27.10.2023 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार वैर से प्राप्त जबाब पत्रांक एल.आर/23/3132 दिनांक 10.11.2023 शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाव का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट का कहना है कि उसको सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब से यह स्पष्ट है कि उनके (प्रार्थी) द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी से सम्बन्धित नहीं है

आरटीआई / अपील / 2023 / 69
हरीबाबू बनाम तहसीलदार वैर

जिसकी सूचना प्रार्थी को पत्रांक एल.आर. / 23 / 2547 दिनांक 14.09.2023 को भिजवाई जा चुकी है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं लोक सूचना अधिकारी के जबाव से स्पष्ट होता है कि उनके स्तर पर सूचना लम्बित नहीं है।

अतः लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति संलग्न) प्रेषित की जावे।. इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
भरतपुर